

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

2

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम सुतारी जमाबंदी सं. 2012-75 के खाता सं. 75 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतोनी खाता सं.	भू प्रबंध खतोनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		75 2012-75	नागयन पुत्र उदा चमार का.प्र. 53	नागयन पुत्र उदा मेघवाल का.प्र. 53

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. नागयन पुत्र उदा मेघवाल
2. ....
3. ....
4. ....

हस्ताक्षर  
नागयन पुत्र उदा  
मेघवाल

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम सुतारी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

18/3/25  
हस्ताक्षर पटवारी  
प०म० कांगारिया

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

29/03/25  
भूअभिलेख निरीक्षक  
डा. व. न. शर्मा

3

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

कर्मांक: राजस्व/2025/ 457

दिनांक: 21.3.25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सुनारी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसीलदार  
भुनेल (झापावाड) राज0

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

कर्मांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 53

दिनांक 24 <sup>03</sup>/<sub>25</sub>

वादी/प्रार्थी के ग्राम सुनारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



सुनेल  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड राज0  
पिडावा झालावाड